आवश्यकता है कृषि को मजबूत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की

जितेन्द्र मोहन शर्मा 'मृदुल'

कृषि के महत्व के कई आयाम हैं। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में एक चौथाई के बराबर का योगदान करती है बल्कि यह लाभकारी रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय भी है और हमारे देश के अधिसंख्य लोगों की आजीविका इसी से चलती है। जिन गरीब लोगों के पास अन्य कोई रोजगार कौशल नहीं है, उन लोगों के लिये यह सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र उपाय है, परंतु यह अत्यंत खेद और दुख का विषय है कि जब भी कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की बात होती है, तो अक्सर यह पक्ष भुला दिया जाता है।

कृषि हमारे देश का प्राणतत्व है। देश के 70% लोगों की आजीविका और खुशहाली कृषिगत संपन्नता पर ही निर्भर है। इन लोगों की समृद्धि और वास्तव में पूरे देश की समृद्धि भारतीय कृषि में आमूल परिवर्तन करने और इसमें नई जान फूंकने पर बहुत अधिक आधारित है। अक्सर कहा जाता है, कि भारत को जैसे समय ने दो अलग-अलग कालखंडों में बांट दिया है। भूमंडलीकरण और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ते भारत की छवि उतनी ही सत्य है, जितनी बैलगाड़ी और अशिक्षित कृषक युग के भारत की छवि। हम आज एक ही समय में विकसित देश भी हैं, और विकासशील देश भी। कृषि और उद्योग के अत्यंत नवीन प्रकारों के साथ-साथ विगत प्राय युग की अनेक रीतियां चल रही हैं। इस अंतर को पाटना ही 21वीं सदी के विकास युग की प्रमुख चुनौती है।

कृषि के महत्व के कई आयाम हैं। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में एक चौथाई के बराबर का योगदान करती है बल्कि यह लाभकारी रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय भी है और हमारे देश के अधिसंख्य लोगों की आजीविका इसी से चलती है। जिन गरीब लोगों के पास अन्य कोई रोजगार कौशल नहीं है, उन लोगों के लिये यह सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र उपाय है, परंतु यह अत्यंत खेद और दुख का विषय है कि जब भी कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की बात होती है, तो अक्सर यह पक्ष भुला दिया जाता है।

जो बात सबसे अधिक चिंताजनक है वह है विगत दशक में कृषि के प्रति उपेक्षा का भाव। हाल के वर्षों में भारतीय कृषि ने अपनी क्षमता से काफी नीचे ही प्रदर्शन किया है। दसवीं योजना में परिकल्पना थी, कि कृषि उत्पादन 4% की दर से बढ़ेगा लेकिन अफसोस की बात है, कि हम इसमें 1.5% की विकास दर भी सुनिश्चित नहीं कर पाये। कृषि की अर्थव्यवस्था और समाज में केंद्रीय स्थिति को देखते हुये हमें अपने यहां जो प्रमुख परिवर्तन करने होंगे, उनमें है कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का लाभ देना, जैसे कृषि के क्षेत्र में गिरावट वाले रूख को पलटने की; किसानों के लिये ऋण सुविधा बढ़ाने की; कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिये वित्त बढ़ाने की; कृषि उपज के लिये अलग से बाजार बनाने की; ग्राम विद्युतीकरण स्वास्थ्य चर्चा और शिक्षा में निवेश करने की वस्तुओं के वायदा बाजार की स्थापना की और ऐसे जोखिमों के प्रति सुरक्षा देने की, जो एक तेजी से वाणिज्यीकृत व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं।

कृषि विवधीकरण के क्षेत्र में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा एकीकृत ढंग से एक ही दायरे में शोध उत्पादन एवं फसल पश्चात प्रबंधन प्रसंस्करण और विपणन के लिये हर सिरे पर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। बागवानी के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के 28% और उसके निर्यातांश के 54% हिस्से की पूर्ति करता है जबकि इसका जोत क्षेत्र का हिस्सा मात्र 8.5% ही है। इससे स्पष्ट है कि बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की प्रबल संभावनायें विद्यमान हैं। दूसरी ओर हमें जल संरक्षण अभियान पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें अधिकतम संसाधन लगाये जाने चाहिये। इसमें निवेश का वर्तमान स्तर बढ़ेगा और

आवश्यकता है कृषि.....

देश में बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं

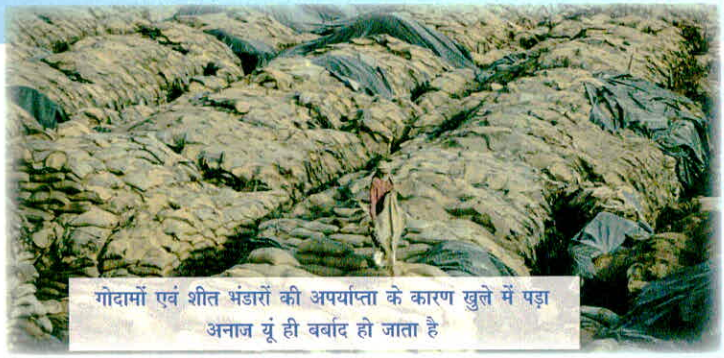

गोदामों एवं शीत भंडारों की अपर्याप्ता के कारण खुले में पड़ा अनाज यूं ही बर्बाद हो जाता है

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी कृषकों को प्राप्त हो सकेगी। ई-चौपाल का प्रयोग काफी प्रगतिशील एवं प्रभावशाली रहा है।

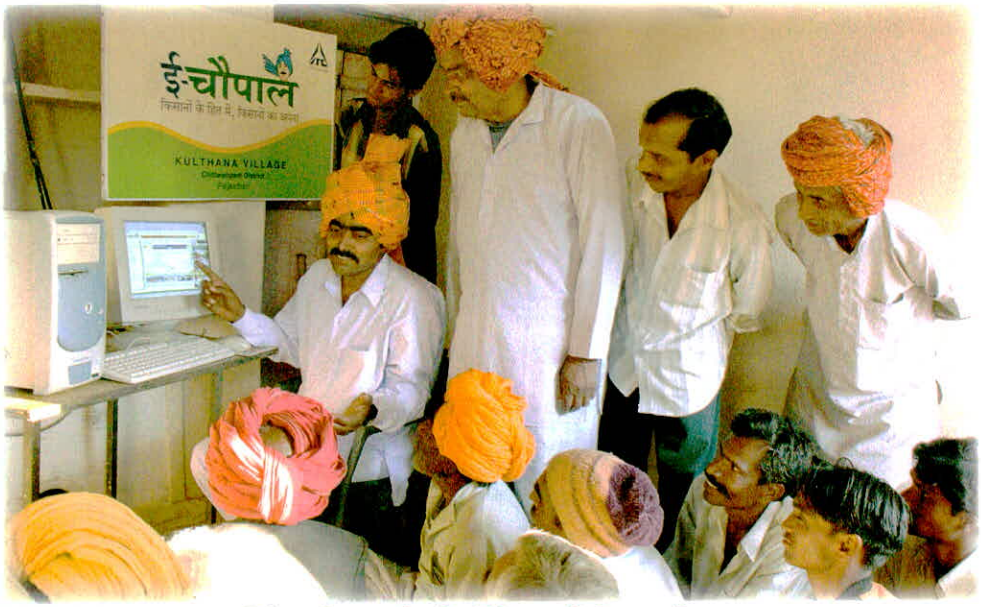

ई-चौपाल के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारियां प्राप्त करते कृषक

शुष्क भूमि पर खेती करना संभव हो पायेगा।

फसल पश्चात प्रबंधन की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधार संरचना को सशक्त करने की आवश्यकता है। जैसे शीत भंडारों और गोदामों का निर्माण। सामान्यतः यह सुनने में आता है कि हमारे किसान बड़ी मेहनत और उम्मीदों से अन्न उपजाते हैं और सरकार द्वारा ये अधिक अन्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में गोदाम व शीत भंडारों के न होने के कारण या तो सड़ जाता है या खुले में पड़ा रहता है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे किसान भी हतोत्साहित होते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। कृषि उत्पाद के लिहाज से पूरे देश को एक साझा या एक ही बाजार समझा जाये। कृषि पर आंतरिक नियंत्रणों व प्रतिबंधों को प्रणालीबद्ध तरीके से दूर करना होगा। सरकार को कृषकों और गैर सरकारी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के बीच सीधी बाजार व्यवस्था कायम करनी चाहिये। कृषि विकास के लिये सरकारी-निजी साझेदारी विकसित की जाये। हमारी सरकार की ऐसी ही साझेदारी चाहिये। हमारे उद्योगपति ग्रामीण विकास के लिये आधुनिक प्रबंधन तकनीकें अपनाने के लिये काफी कुछ कर सकते हैं।

कृषि प्रबंधन बहु एजेंसी व्यवस्था से किया जा सकता है, जिसमें निजी निगमित क्षेत्र, कृषक संगठन सहकारी संस्थायें गैर सरकारी संगठन, लघु कृषि व्यापारी, स्वयं सहायता समूह मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि। इस प्रकार कृषि का सबलीकरण एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान का लक्ष्य होना चाहिये।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी कृषकों को प्राप्त हो सकेगी। ई-चौपाल का प्रयोग काफी प्रगतिशील एवं प्रभावशाली रहा है।

आज कृषि को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है, जो नई प्रौद्योगिकियों को और व्यापार के आधुनिक तौर तरीकों पर आधारित हो। विश्व व्यापार संगठन के दायरे में जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था बनी है उसके नियमानुसार अपना व्यापार उभारने और निर्यात अवसरों के प्रति जानकारी होना भी एक तात्कालिक आवश्यकता है। इन सभी विषयों में कृषकों की सोच व्यापक व नई हो, तभी वे अंतर्राष्ट्रीय कृषिगत प्रतिस्पर्धा में टिके रह पायेंगे। अपने देश में जो सृजनशीलता उद्यमशीलता और जोखिम लेकर भी कार्य पूर्ण कर देने का भाव विद्यमान है, उसका सम्यक उपयोग करने की आवश्यकता है। इन सभी ऊर्जाओं को गतिशील बनाकर भारतीय कृषि के इतिहास में एक नया अध्याय लिखना होगा तभी भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत आर्थिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा।

संपर्क करें:
जितेन्द्र मोहन शर्मा 'मृदुल'
(प्रबंधक राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय सिंडिकेट बैंक
सिंडिकेट टावर्स कैथोलिक सेंटर
के. एम. मार्ग
उडुपि-576 101 (कर्नाटक राज्य)
मो.नं. 09448284017
ईमेलः jmsharmas@gmail.com